जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 26 संख्याः 176 प्रभात अजमेर, मंगलवार 25 जनवरी, 2022 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

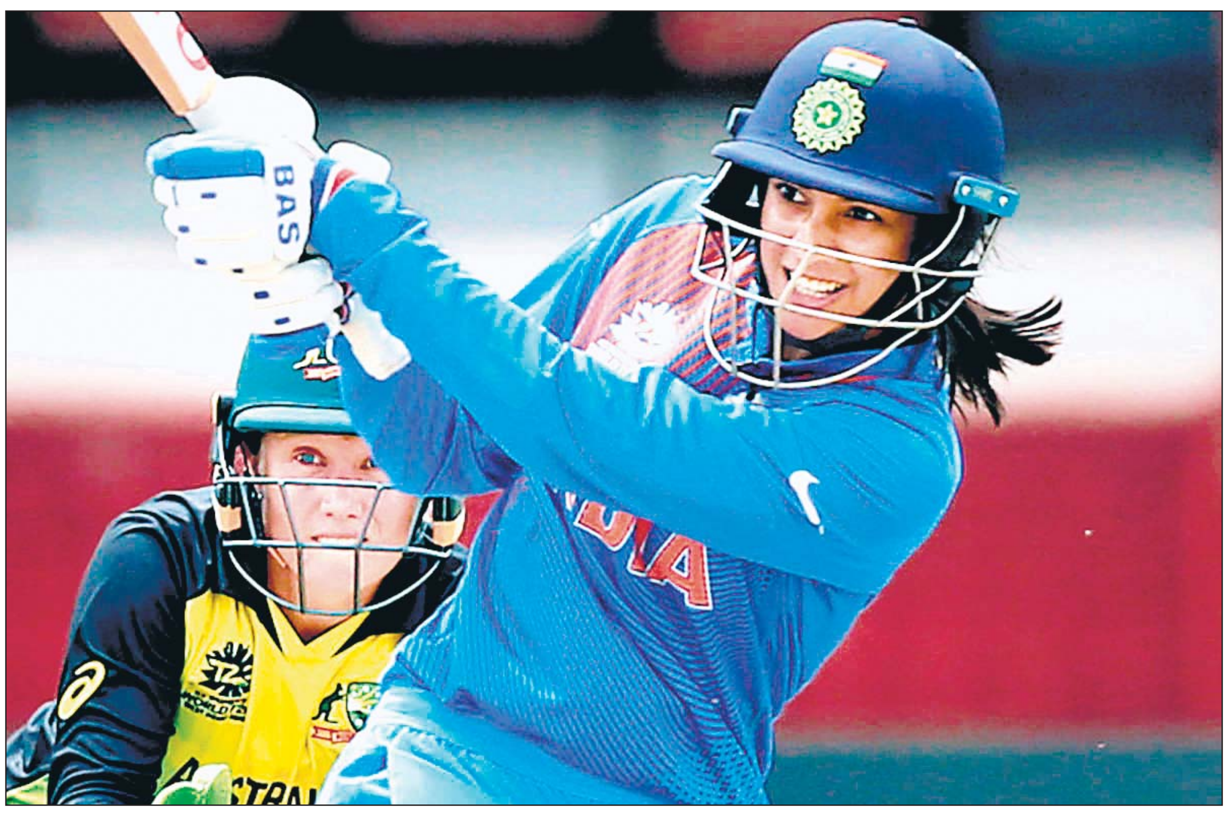

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल (आई.सी.सी.) ने साल 2021 की ''सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर'' चुना है। बीते साल एक नहीं बल्कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टी-20, टैस्ट क्रिकेट और वन डे क्रिकेट) में स्मृति ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। मंधाना ने पिछले साल 22 इंटरनैशनल मुकाबलों में 855 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। स्मृति मंधाना ने 2018 में भी यह पुरस्कार जीता था और वे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी चुनी गई थीं। झूलन गोस्वामी के बाद यह पुरस्कार पाने वाली स्मृति दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। झूलन गोस्वामी को 2007 में यह पुरस्कार मिला था। पिछले साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन स्मृति मंधाना ने अपने बल्ले का कमाल जारी रखा। उन्होंने इस साल साउथ अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर टीम के खिलाफ जमकर रन बनाए। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र पिंक बॉल टैस्ट में भी मंधाना ने ऐतिहासिक शतक लगाया था। आई.सी.सी. ने पाकिस्तान के युवा गेंदबाज़ शाहीन अफरीदी को ''पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर'' घोषित किया है।

स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट से बीस लाख करोड़ रु. डूबे निवेशकों के

जैसा कि विदित ही है, हिन्दुस्तान के स्टॉक मार्केट में सबसे निर्णायक भूमिका विदेशी निवेशकों की है, क्योंकि भारी विदेशी पूंजी लगी है भारतीय स्टॉक मार्केट में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। सोमवार को शेयर बाजार धराशायी हो गया और ऐसा हुआ बाजार के कुछ टैक्नीकल करैक्शन्स और विपरीत असर डालने वाली कई वैश्विक घटनाओं की वजह से।

स्टॉक मार्केट में आयी आज की गिरावट सहित पिछले कुछ सत्रों में शेयर्स के मूल्यों में आई कमी ने निवेशकों को करीब 20 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। वैश्विक अस्थिरता के साथ-साथ महंगाई के संभावित दबाव के भय के बीच निवेशकों का रूझान कमजोर पड़ गया है। चूंकि भारतीय शेयर बाजार पर वर्तमान में बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों का प्रभुत्व है, इसलिए भारत के घरेलू शेयर बाजार को विशुद्ध आंतरिक घटनाक्रमों के बजाए वैश्विक

- **अतः अन्तर्राष्ट्रीय भय, निराशा के ''सैन्टिमैंट'' से बहुत प्रभावित होता है, भारतीय स्टॉक मार्केट।**
- **फिलहाल अमेरिका में ''प्राइज़ राइज़'' (महंगाई) 7 प्रतिशत है। इतनी महंगाई तीन दशक में नहीं हुई।**
- **इस महंगाई के कारण अमेरिका के रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की भारी संभावना है। ब्याज दर बढ़ने से पूंजी निवेशक पैसा शेयर मार्केट के निकालकर बॉण्ड्स या सिक्युरिटीज़ में लगा देते हैं, अतः स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आती है।**
- **इसके अलावा साऊथ चाइना सी में अमेरिका व जापान बड़ा भारी नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं तथा चीन ने भी 39 एयर क्राफ्ट इस क्षेत्र में भेजे हैं, युद्धाभ्यास के लिये। दोनों युद्धाभ्यास एक दूसरे के इतने नजदीक हो रहे हैं कि, जरा सी गल्ती से युद्ध छिड़ सकता है। इस भय से अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट आयी है, जिसका सीधा असर भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर आया है।**

आशंकाएं और उम्मीदें अधिक प्रभावित करती हैं। दिन के दौरान रही नर्वस ट्रेडिंग में कई महत्वपूर्ण सैक्टर्स के शेयर्स को नुकसान पहुंचा। लोहा और इस्पात, धातुएं और टैक्नॉलजी सैक्टर के शेयर्स सहित करीब-करीब सभी सैक्टर्स के शेयर्स के दाम गिर गए। टैक्नॉलजी सैक्टर्स के कुछ शेयर्स के भाव में कुछ समय से काफी ऊपर थे, इसलिए इन्हें भारी नुकसान हुआ। तथापि, शेयर मूल्यों में आई कमी की प्राथमिक वजह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

26 जनवरी को आतंकवादी गतिविधि की धमकी

हिजबुल मुजाहिदीन व ''सिख फॉर जस्टिस'' ने यह धमकी देते हुए सैकड़ों ''ऑडियो मैसेज'' भेजे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों को सोमवार को मिले अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स से प्राप्त रिकॉर्डेड संदेशों के एक और प्रकरण के अन्तर्गत पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिज़बुल मुजाहिदीन ने दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोहों को बाधित करने की धमकी दी है। उक्त आतंकी संगठन ने कश्मीरियों से घाटी छोड़कर दिल्ली जाने, वहाँ अनुच्छेद 370 को रद्द किये जाने पर विरोध-प्रदर्शन करते हुये, बुधवार को वहाँ ''कश्मीरी झंडा'' फहराने का आव्हान किया है। एक अन्य मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर ''कश्मीरियों के प्रति अन्याय'' करने का दोषारोपण किया है क्योंकि उनसे अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दिये गये विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया।

एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरी मुजाहिदीन ने सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दिये गये विशेषाधिकारों को रद्द करके ''कश्मीरियों के प्रति अन्याय'' के लिये जिम्मेदार ठहराया है। खालिस्तानी आतंकी ग्रुप ''सिख्स फॉर जस्टिस'' के संदेशों को दोहराते हुये, मुजाहिद्दीन ने कश्मीरियों का आव्हान किया है कि वे दिल्ली पहुँचकर वहाँ अपना झंडा फहरायें। ऑडियो में कहा गया है, ''कश्मीरी मुजाहिद्दीन का यह मैसेज सर्वोच्च न्यायालय के लिये है। हमने कश्मीर घाटी की लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का निर्णय लिया है। (एस.एफ.जे. प्रमुख) पन्नू ने (कश्मीरियों से) घाटी छोड़कर, दिल्ली जाने का आव्हान किया है। अब मुजाहिद्दीन 26 जनवरी को राजधानी में कश्मीरी झंडा फहरायेंगे। अनुच्छेद 370 को रद्द कर के कश्मीरियों के प्रति अन्याय के लिये जितनी जिम्मेदार मोदी सरकार है, उतना ही जिम्मेदार सर्वोच्च न्यायालय है। अब यह मुद्दा दिल्ली में उठाया जायेगा तथा सारी दुनिया इसे देखेगी।''हाल ही के सप्ताहों में, वकीलों को अनेक कॉल किये गये हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के लोगों को गणतंत्र दिवस को निशाना बनाने के लिये उकसाया एवं भड़काया गया है। ये कॉल कथित रूप से एस.एफ.जे. चीफ गुरपतवन्त सिंह पन्नू द्वारा जारी किये गये हैं, जहाँ वह सबसे पहले अपने समर्थकों को यह कहते सुनाई दिया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ''ब्लॉक'' कर दें तथा 26 जनवरी को दिल्ली से तिरंगा हटा दें।

- **ऑडियो मैसेज के अनुसार दोनों संगठनों ने कश्मीरियों से आग्रह किया है, प्र.मंत्री के कार काफिले पर हमला करें व कश्मीर का झण्डा फहराये दिल्ली में।**

पहले के कॉल्स में, इस प्रतिबंधित संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय के जजों को चेतावनी दी थी कि वे पंजाब में हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से संबंधित केस की सुनवाई करने से बचें। सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले, कम से कम 1000 ऐसे कॉल इंग्लैंड से प्राप्त हुये थे, जिनमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किये जाने के मामले जाँच को बिगाड़ने के लिये की जाने वाली कोशिशों का खुलासा किया गया था। ऑडियो कॉल में, पन्नू को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुये भी सुना गया था। सर्वोच्च न्यायालय, सुरक्षा में हुई चूक की जाँच के लिये सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जज सुश्री इन्दु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर चुका है।

गणतंत्र दिवस के पूर्व सोमवार को दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था तब और सख्त कर दी जब उसे गुप्तचर संस्थाओं की ओर से अलर्ट किया गया कि सिटीजनशिप अमैडमैंट एक्ट (सी.ए.ए.) नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स विरोध प्रदर्शन और किसान आंदोलन के दौरान अति सक्रिय रहे लोगों पर नजर रखी जाए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लालकिला तथा सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उक्त अधिकारी ने कहा कि, गुप्तचर जानकारी के अनुसार कुछ लोग गणतंत्र दिवस के समारोह में व्यवधान डालने के लिए हिंसा चाहते हैं तथा ये ऐसे असामाजिक तत्वों के सम्पर्क में हैं, जो भारत में अस्थिरता पैदा करने वाली विदेशी ताकतों से समर्थित हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि उनकी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है तथा आतंकवाद के खिलाफ सभी 26 मानदण्डों के साथ सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण तालमेल है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के संबंध में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर्स के नेतृत्व में 20,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है तथा केन्द्रीय सशस्त्र बलों की 65 कम्पनियां भी तैनात की जाएंगी।

भीलवाड़ा में भी मूकबधिर युवती से गैंगरेप

भीलवाडा, 24 जनवरी (निसं)। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा की एक कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली मूकबधिर युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि प्रशासन का इस मामले में भी यह कहना है कि मैडिकल बोर्ड की जांच के बाद ही स्थिती साफ होगी।

कलैक्टर आशीष मोदी से मिली जानकारी के अनुसार मूलतः चित्तौड़गढ़ जिले के एक गांव की रहने वाली 18 वर्षीय युवती भीलवाड़ा शहर के पटेल नगर क्षेत्र में किराए के मकान में परिवार के साथ रहती है। सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे युवती को ब्लीडिंग ज्यादा होने की समस्या के चलते उसके पिता और बड़ी बहन बाइक पर एमजी हॉस्पिटल लेकर आए। ब्लीडिंग का कारण जानने के लिए चिकित्सकों ने जब प्रैग्नैंसी जांच की तो उसके दो माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली। इस

- **ब्लीडिंग होने पर प्रैगनैंसी जांच की तो दो माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली।**

पर मामले से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया। एसपी सिद्धू ने बताया की चूंकि युवती बोलने और सुनने दोनों में असमर्थ है। अतः उसके द्वारा अपने परिजनों को अवगत करवायी गई जानकारी के आधार पर गत दिनों उसे तीन नकाबपोश युवक अगवा कर पटेल नगर ले गए थे, जहां दो युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गईं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आलोचना से बेपरवाह है चीन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि विंटर ओलम्पिक्स में कुछ ही दिन बचे हैं, और राष्ट्रपति शी ज़िनपिंग अपने आलोचकों की एक नहीं सुन रहे हैं तथा इस समारोह को अपने तरीके और अपनी शर्तों पर आयोजित कर रहे हैं।

- **चीन को ''ज़ीरो टॉलरैन्स'' नीति की सख्त अनुपालना के कारण ही ''विन्टर ओलंपिक'' का आयोजन आवंटित किया गया था, अतः चीन अब अन्तर्राष्ट्रीय दबाव व आलोचना की परवाह किये बगैर विन्टर ओलंपिक के आयोजन पर आमादा है।**

चीन को अब दुनिया के सामने खुद को साबित नहीं करना है, जैसा चीन ने 2008 के ''समर ओलम्पिक्स'' में किया था। चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी के स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल को रद्द कर दिया है तथा अपनी स्वयं की कठोर ''ज़ीरो कोविड'' नीति को कायम रखा है। उसने ब्रॉडकास्टरों तथा स्पॉन्सरों को चेतावनी दे दी है कि हाँगकाँग में की जा रही सख्ती एवं शिनजिआंग में दमन को लेकर किए गए बहिष्कार के आव्हान के समक्ष झुके नहीं। चीन की सख्ती को बहुत से लोग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारी फर्क क्यों है यू.पी. के चुनावी सर्वे व जमीनी हकीकत में?

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश के राजनैतिक रंगमंच पर एक विचित्र स्थिति सामने आ रही है। जहाँ ओपिनियन पोल भाजपा सरकार की वापसी (हालाँकि पहले से कम बहुमत के साथ) की भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं जमीनी रिपोर्ट बता रही हैं कि वास्तविकता इससे उलट है। आक्रोशित भीड़ भाजपा के मौजूदा विधायकों तथा मंत्रियों को गाँवों से बाहर खदेड़ रही है।

सी-वोटर सहित, विभिन्न सर्वेक्षणों ने भविष्यवाणी की है कि भाजपा को 403 सदस्यीय विधानसभा में 260 सीटें मिलेंगी तथा उसे 41 प्रतिशत वोट मिलेंगे।

इस प्रकार का विश्लेषण जमीनी रिपोर्टों के अनुकूल नहीं बैठ रहा है। बागपत के छपरौली चुनाव क्षेत्र से लेकर बुलन्द शहर और आगरा तक विभिन्न स्थानों पर प्रचार के लिये गाँवों में गये भाजपा विधायक गाँव से बाहर निकाल दिये गये हैं तथा उनके काफिलों पर पत्थर फेंके गये हैं। एक जगह तो यह स्थिति हुई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण क्षेत्र में अपने प्रचार के लिये गये भाजपा विधायक को एक विद्यालय-भवन के परिसर में ताले में बंद कर दिया गया। उन्नाव में स्वयं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाये गये तथा बताया जाता है कि एक सभा को संबोधित करते समय शोर करते हुये उन्हें हूट किया गया तथा उन्हें सभा को संबोधित नहीं करने दिया गया। कुछ मामले ऐसे भी सामने आये हैं कि भाजपा विधायक प्रचार के लिये भारी सुरक्षा घेरे एवं व्यवस्था के साथ जा रहे हैं। जाहिर है कि ये रिपोर्टें चुनाव-पूर्व होने वाले सर्वेक्षणों के संकेतों एवं निष्कर्षों से पूरी तरह भिन्न हैं। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, जो सत्तारूढ़ भाजपा के समक्ष मुख्य चुनौती के रूप में उभरकर आये हैं, ने इन सर्वेक्षणों के आधार पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं तथा इन ''ओपिनियन पोल्स'' को ''ओपियम पोल्स'' (अफीमची पोल) की संज्ञा देते हुये खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के सर्वे केवल मतदाताओं को ''गुमराह वं दिग्भ्रमित'' करने के लिये किये जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर माँग की है कि इन ओपिनियन पोल्स को समाचार चैनलों पर प्रसारित किये जाने पर तुरन्त रोक लगाई जाये। पार्टी ने कहा है कि यह करके आदर्श आचार संहिता का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार, भाजपा को लगभग 260 सीटें मिलेंगी, परन्तु जमीनी सच्चाई यह है कि, विशेषकर, वैस्टर्न यू.पी. में उम्मीदवारों और मंत्रियों को प्रचार के लिये गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है।**
- **एक भाजपा विधायक जब पश्चिमी यू.पी. में एक गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो गांव वालों ने उन्हें स्कूल भवन में बंद कर दिया।**
- **यहां तक कि, उप मु.मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जब ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे तो, उन्हें काले झण्डे दिखाये गये, नारेबाजी हुई और उन्हें सभा को संबोधित नहीं करने दिया गया।**

'हेट स्पीच'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। आर.एस.एस. द्वारा मुस्लिमों के खिलाफ घ्रणास्पद भाषणों का समर्थन करने के एक दिन बाद दो हिंदू संगठनों-हिंदू सेना और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। और मुस्लिमों के विरूद्ध हेट स्पीच संबंधी लंबित याचिका में शामिल करने की मांग की और इसके जवाब में ऐसे इन्टरनैट लिंक्स का हवाला दिया जिसमें मुस्लिम नेताओं ने भी इसी प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए हैं।

गत 12 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच ने पत्रकार कुरबान अली और पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज एवं सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड और दिल्ली पुलिस से जवाब-तलब किया था। इस याचिका में उन लोगों के विरूद्ध जांच व कार्यवाही की मांग की गई थी जिन्होंने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **दो हिन्दू संगठनों, हिन्दू सेना व ''हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस'', ने भी सुप्रीम कोर्ट में हिन्दू संगठनों द्वारा आयोजित समारोह में ''हेट स्पीच'' के खिलाफ पत्रकार कुरबान अली द्वारा याचिका की सुनवायी में शामिल होने की अर्ज़ी डाली।**

रोडा एक्ट संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और सरकार आमने-आमने

मुख्यमंत्री ने कहा था-रोडा एक्ट संशोधन विधेयक का राज्यपाल स्तर पर अनुमोदन नहीं होने से किसानों की जमीन नीलामी की स्थितियां बनीं

जयपुर, 24 जनवरी (का.प्र.)। प्रदेश में किसान कर्जमाफी और किसानों की जमीन नीलामी के मामले में चल रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजभवन रोडा एक्ट संशोधन संबंधी विधेयक को अटका कर बैठा है, वही अब इस मामले में राजभवन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर राजभवन में रोडा एक्ट संशोधन संबंधी कोई विधेयक नहीं आया और ना ही राज्यपाल कलराज मिश्र के स्तर पर इसे अनुमोदन के लिए भेजा गया।

पिछले दिनों जब राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी को लेकर नोटिस आने लगे और मामला गरमाया और विपक्ष ने जब राज्य सरकार पर आरोप लगाए, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन की नीलामी रोकने के लिए विधानसभा में रोडा एक्ट संशोधन विधेयक पास करके भेजा था। लेकिन राज्यपाल महोदय के स्तर पर उसका अनुमोदन नहीं होने के कारण राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की स्थितियां बनी। वहीं इसी मामले में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन का घेराव का ऐलान कर विरोध प्रदर्शन भी किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा था।

- **राजभवन का स्पष्टीकरण है कि, इस तरह का कोई विधेयक राजभवन को नहीं भेजा गया।**
- **स्पष्टीकरण पर बोले डोटासरा- अधिकारियों ने राज्यपाल को सही जानकारी नहीं दी।**

उसके बाद राजभवन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जिस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया, उसका कोई आधार नहीं है। इस प्रकार का कोई भी विधेयक पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से राजभवन में नहीं भेजा गया है। राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को ज्ञापन देने आए किसानों के प्रतिनिधिमंडल को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।

राजभवन के जवाब के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल को अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। राज्य सरकार ने राज्यपाल को 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम नहीं करने का बिल भेजा था।

डोटासरा ने कहा कि किसानों की जमीन नीलामी रोधी बिल सीपीसी में अमेंडमेंट संबंधी बिल था। गृह विभाग ने 24 नवंबर 2020 को यह बिल राजभवन भेजा था।

इस बारे में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आज तक यह बिल पास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को नीचे के अधिकारियों ने सही सूचना नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पारित होता तो भूमि नीलाम नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह बिल राजभवन से वापस सरकार के पास नहीं आया।